न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 07/2017
प्रकरण दर्ज तिथि :— 12.01.2017
जीसीएमएस नम्बर :— 2017/00124

वादी

1. बगदाराम पुत्र गुणेशराम जाति मेघवाल निवासी बांजाकुड़ी तह. जैतारण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पारस पुत्र छोगाराम जाति हरिजन
2. सविता पुत्री श्रवण जाति हरिजन
3. सुशीला पत्नि श्रवण जाति हरिजन
4. पानी देवी पत्नि खींयाराम जाति मेघवाल निवासीगण गुड़ीया तह. रायपुर
5. सोहनलाल पुत्र देवाराम जाति नायक निवासी सबलपुरा तह. रायपुर
6. कालुराम पुत्र भीकाराम जाति मेघवाल निवासी केलवाद तह. सोजत
7. तेजाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी खुड़ीवाला तह. शेरगढ़ जिला जोधपुर
8. पटवारी पटवार हल्का सबलपुरा
9. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भवानी सिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
2 प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन

निर्णय दिनांकः 03.03.2025

वादी की ओर से वकील श्री भवानीसिंह सोलंकी द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा गुड़िया पटवार हल्का सबलपुरा के खसरा नंबर 166 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा किश्म बारानी अव्वल उपरोक्त वर्णित आराजीयात को आगे वाद में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा तथा जमाबन्दी संवत् 20 से 20 वाद पत्र के साथ पेश है। जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का 4/37 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1755407/43515700 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का शामलात में 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 663/3700 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 5 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 6 का 5/37 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 का 16200/435157 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज जमाबन्दी हैं तथा इसी हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। तथा उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा, कब्जा काश्त, हित अधिकार, स्वत्व संयुक्त रूप से चले आ रहे है। वाद कारण दिनांक 20.12.2016 को उत्पन्न हुआ एंव जब–तब भी वादी द्वारा मौखिक बंब्वाड़ा हेतु निवेदन किया गया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर व दिनांक 21.12.2016 को जब वादी द्वारा

गुलाबसिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब उत्पन्न हुआ एंव दिन प्रति दिन लगातार उत्पन्न हो रहा है। वादी अपने सह खातेदारान प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 के साथ जमावन्दी में दर्ज अपने अपे हिस्सो के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के करता चला आ रहा है। तथा मौके पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 ने आपस में बंटवाड़ा कर रखा हैं तथा उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त कर रहे है। वादी के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 के विरूद्व बंटवाड़े की डिकी इस आशय की फरमावें कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड् बाऊण्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादी का 4/37 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1755407/43515700 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का शामलात में 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 663/3700 हिरसा व प्रतिवादीगण संख्या 5 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 6 का 5/37 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 का 16200/435157 हिस्सा अलग अलग किया जाकर पक्षकारान को उनके हिस्से में आयी आराजीयात पर काबिज करवाया जावें एंव अलग अलग पाल ड़ोल कायम की जावें तथा अलग अलग लगान तय किया जावें तथा इसी अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में अलग अलग अंकन करवाया जाकर अलग अलग खाता किया जावें तथा राजस्व रेकर्ड में भी इसी अनुसार आवश्यक इन्द्राज करवाया जावें तथा नक्शा ट्रेश में भी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 के भूमि बंटवाड़े अनुसार तरमीम करवाई जाकर अलग अलग नक्शा तैयार किऐ जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 से 05, 07 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की और से वकील श्री भुपेन्द्र सैन द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। वकील वादी एंव प्रतिवादी मौके पर कब्जा काश्त एंव रेकर्ड के अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड् बाऊण्ड्स करने की प्रार्थना करते है। वकील उभय पक्ष द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों पर बहस सुनी। वकील उभय पक्ष माफिक रेकर्ड एंव मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा हेतु सहमत हैं। अतः माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2024/748 दिनांक 03.04.2024 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं।

अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। अधिवक्तागण ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा गुड़िया पटवार हल्का सबलपुरा के खसरा नंबर 166 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादी:

1. बगदाराम पुत्र गुणेशराम जाति मेघवाल निवासी बांजाकुड़ी तह. जैतारण

प्रतिवादीगण:

1. पारस पुत्र छोगाराम जाति हरिजन
2. सविता पुत्री श्रवण जाति हरिजन
3. सुशीला पत्नि श्रवण जाति हरिजन
4. पानी देवी पत्नि खींयाराम जाति मेघवाल निवासीगण गुडीया तह. रायपुर
5. सोहनलाल पुत्र देवाराम जाति नायक निवासी सबलपुरा तह. रायपुर
6. कालुराम पुत्र भीकाराम जाति मेघवाल निवासी केलवाद तह. सोजत
7. तेजाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी खुड़ीवाला तह. शेरगढ़ जिला जोधपुर
8. पटवारी पटवार हल्का सबलपुरा
9. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भवानी सिंह सोलंकी वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा गुड़िया पटवार हल्का सबलपुरा के खसरा नंबर 166 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

नीज........................ ....मुबलिक............... ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

इसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.03..2025 को जारी किया गया।

गुलाब सिंह (हस्ताक्षर)

(गुलाब सिंह वर्मा)

सहायक कलक्टर एवं

पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	02	00	स्टाम्प वकालतनामा –	02	00
स्टाम्प वकालतनामा –	04	00	स्टाम्प हाजरी –		
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमि नर –		
फीस कमि नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा –	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा –	6	00	मुतफरिक –		
मुतफरिक –			मीजान	02	00
मीजान	12	00			

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

क्रमांक : कोर्ट / 2025 / 221

दिनांक : 07.03.25

प्रेषितः

तहसीलदार,
रायपुर

विषय :– राजस्व वाद संख्या 07 / 2017 अनवान बगदाराम बनाम पारस वगैरह में निर्णय दिनांक 03.03.2025 की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विषयक अनवान में यदि कोई न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार जारी निर्णय एवं डिक्री पर्चा की छायाप्रति वास्ते नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर पालना भिजवावे।

संलग्न : निर्णय एंव डिक्री पर्चा की प्रति

गुलाबसिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)